लोक शिक्षण संचालनालय
गौतम नगर, भोपाल मध्यप्रदेश

E-mail ID—jdfbudget@gmail.com, Phone No. 0755-2602636

क्रमांक / वित्त / अध्यापक / वे.नि.परी. / 2021 / 20 भोपाल, दिनांक 09-2-21

प्रति,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
मध्य प्रदेश

विषयः— अध्यापक संवर्ग के दिनांक 01.01.2016 को छठवें वेतनमान में त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण की जांच एवं वसूली किये जाने बावत्।

संदर्भः— संचालनालय का पत्र क्र. / एनसी / 20 / ग्रीनकार्ड / वे.नि.अ. / 2020—21 / 1120—1121 दिनांक 13.07.2020 एवं 207 दिनांक 04.02.2021

संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके माध्यम से वेतन निर्धारण नियमन के संबंध में संचालनालय के पत्र क्रमांक / वि.से. / अध्या.प्रको. / ए / 20 / वे.नि.अ. / 2019 / 171—172 दिनांक 01.05.2019 के निर्देशों की अधीनस्थ स्तर पर किये जाने वाली गलत व्याख्या के संबंध में स्पष्ट करते हुये व्याख्यातात्मक मार्गदर्शी निर्देश के साथ—साथ त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण करने वाले दोषी अधिकारी / कर्मचारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त कार्य की समय—सीमा एक माह के अंदर कार्यवाही पूर्ण करने की दी गई है। परीक्षण का कार्य गुणवत्ता पूर्ण होने की सुनिश्चितता हेतु संलग्न परिशिष्ट—1 के अनुसार म0प्र0 अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के द्वारा संबंधित जिलों में संकुलवार वेतन निर्धारण परीक्षण कार्य का अनुश्रवण किया जावेगा। अनुश्रवण हेतु दो सदस्यीय टीम के माध्यम से कार्य किया जाना है, जिसके लिए परिशिष्ट—1 में लगाई गई अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग के अधिकारियों के सहयोग हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, एक अन्य वरिष्ठ लेखापाल अथवा वरिष्ठ लेखा परीक्षक की ड्यूटी लगायेंगे।

अनुश्रवण हेतु ड्यूटी लगाये गये अधिकारी / कर्मचारियों को यथा—स्थान विकासखंड / संकुल तक पहुँचाने अथवा संकुल स्तर की सेवा पुस्तिकाओं की जांच हेतु एक निर्धारित स्थान पर संकलित करने हेतु निर्देशित करेंगे। अनुश्रवण का कार्य संयुक्त संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय के मॉनिटरिंग में किया जावेगा, जिनके सहयोगी श्री राजेश कुमार अहिरवार एवं श्री अवनेन्द्र सिंह कनिष्ठ लेखा अधिकारियों से संपर्क कर समस्या का निदान करें तथा उक्त कनिष्ठ लेखा अधिकारी, परिशिष्ट—1 में लगाई गई ड्यूटी के अतिरिक्त रीवा एवं ग्वालियर संभाग के कम से कम दो—दो जिलों में उपस्थित होकर अनुश्रवण कार्य का मूल्यांकन करेंगे। अनुश्रवण के समय वेतन निर्धारण के जिन प्रकरणों में त्रुटियॉ पाई जाती हैं, तो उन प्रकरणों के पुनः परीक्षण हेतु अध्यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण कार्य के अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित जिलों के जिला पंचायत के लेखाधिकारियों को भेजे जावेंगे।

2/

संकुलवार किये जाने वाले अनुश्रवण कार्य की जानकारी निम्नानुसार प्रपत्र पर तैयार की जावे –

क्र.	जिला का नाम	विकासखंड का नाम	संकुल का नाम	कुल अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों की संख्या	सेवा पुस्तिका में वेतन निर्धारण का अनुमोदन हो चुके अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों की संख्या	वेतन निर्धारण अनुमोदन हेतु शेष रहे अध्यापक संवर्ग कर्मचारियों की संख्या	वेतन निर्धारण अनुमोदन शेष रहने का कारण	टीम द्वारा पुनः परीक्षण किये गये सेवा पुस्तिका वेतन निर्धारण की संख्या	पुनः परीक्षण के समय पाई गई त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण कर्मचारियों संख्या	त्रुटि किस प्रकार की पाई गई है, स्पष्ट करें	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

संलग्न : परिशिष्ट–1

(जयश्री कियावत)
आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक / वित्त / अध्यापक / वे.नि.परी. / 2021 / 21 भोपाल, दिनांक 09-2-2021

प्रतिलिपिः–
1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
2. आयुक्त, कोष एवं लेखा, पर्यावास भवन भोपाल को सूचनार्थ एवं लेख है कि अपने स्तर से भी जांच कराने की कृपा करें।
3. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, म0प्र0 भोपाल।
4. समस्त जिला कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लो0शि0 मध्य प्रदेश ।
6. समस्त जिला परियोजना समन्वयक, मध्य प्रदेश।
7. संबंधित अधिकारी..... द्वारा संयुक्त संचालक / जिला शिक्षा अधिकारी / जिला परियोजना समन्वयक (समस्त) की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि संचालनालय लो.शि. के संदर्भित पत्र, दिनांक 01.05.2019 का पत्र संलग्न परिशिष्टों (प्रपत्रों) सहित एवं गूगल पर लिंक http://tiny.cc/5lx05y में दिये गये संगत नियमों का अध्ययन कर पुनः परीक्षण का कार्य किया जाकर ऊपर निर्धारित प्रपत्र पर जानकारी प्रस्तुत करते हुये, परीक्षण प्रतिवेदन एक माह के अंदर संयुक्त संचालक (वित्त) लो0शि0 संचालनालय (मेल आईडी jdfbudget@gmail.com)को प्रस्तुत करें।
8. संयुक्त संचालक (वित्त) लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल।

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

परिशिष्ट –1

अध्यापक संवर्ग के वेतन निर्धारण के अनुश्रवण कार्य हेतु ड्यूटी का निर्धारण

स.क्र.	संभाग का नाम	जिला का नाम	अनुश्रवण कार्य हेतु एस0ए0एस0 अधिकारी का नाम एवं संबंधित जिले का एक सहयोगी लेखापाल
1	2	3	4
1	सागर	सागर	श्री राजेश मिश्रा, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय टीकमगढ़
2		टीकमगढ़	श्री महेश प्रसाद यादव, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्या. संयुक्त संचालक लो.शि. सागर
3		निवाड़ी	श्री महेश प्रसाद यादव, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, कार्या. संयुक्त संचालक लो.शि. सागर
4		छतरपुर	श्री आर0एस0 अहिरवार, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय दमोह
5		दमोह	श्री राजेश मिश्रा, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय टीकमगढ़
6		पन्ना	श्री आर0एस0 अहिरवार, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय दमोह
7	रीवा	रीवा	श्री मनीष प्रजापति, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय सतना
8		सतना	श्री पुष्पराज सिंह, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय रीवा
9		सिंगरौली	श्री विश्वम्भर प्रसाद चतुर्वेदी, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय सीधी
10		सीधी	श्री पुष्पराज सिंह, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय रीवा
11	ग्वालियर एवं चम्बल संभाग	मुरैना	श्री सुरेन्द्र कुमार जैन, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय भिण्ड
12		श्योपुर	श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक लो0शि0 ग्वालियर
13		भिण्ड	श्री एम0एल0 राजपूत, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय मुरैना
14		ग्वालियर	श्री भुवानंद गुप्ता, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय दतिया
15		दतिया	श्री संजीव कुमार श्रीवास्तव, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय ग्वालियर
16		शिवपुरी	श्री एम0एल0 पालीवाल ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय श्योपुर
17		गुना	श्री राम कुमार रघुवंशी, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय अशोकनगर
18		अशोकनगर	श्री राजीव शर्मा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक लो0शि0 ग्वालियर

19	भोपाल	भोपाल	श्रीमती अर्चना राव एवं सुश्री मधुवंती ठाकुर, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, लो0शि0 संचालनालय भोपाल
20		सीहोर	श्री अवनेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखा अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
21		रायसेन	श्री मुन्नालाल कुशवाहा, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय विदिशा
22		विदिशा	श्री राजेश कुमार अहिरवार, कनिष्ठ लेखा अधिकारी लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल
23		राजगढ़	श्री पी0एस0 मीना ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय रायसेन
24	नर्मदापुरम	होशंगाबाद	श्री गनेश प्रसाद सोनी, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बैतूल
25		हरदा	श्री सुरेन्द्र कुमार वाष्णिक, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय होशंगाबाद
26		बैतूल	श्री लक्ष्मण सिंह डाबर, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय हरदा
27	जबलपुर	सिवनी	श्री अशोक कुमार कुलस्ते, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय छिंदवाड़ा
28		छिंदवाड़ा	श्री बसोड़ीलाल उइके, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय सिवनी
29		कटनी	श्री अभय कुमार पहारिया, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर
30		बालाघाट	श्री के0पी0 सैयाम, ए0पी0सी0 वित्त, डी0पी0सी0 कार्यालय मण्डला
31		नरसिंहपुर	श्री अभय कुमार पहारिया, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण जबलपुर
32		जबलपुर	श्री सचिन कुमार झा, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय डिण्डौरी
33		मण्डला	कु0 शैल धारीवाल, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय बालाघाट
34		डिण्डौरी	श्रीमती सुनीता सेठी ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय जबलपुर
35	शहडोल	शहडोल	श्री ओमकार साकेत, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय शहडोल
36		उमरिया	श्री ओमकार साकेत, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय शहडोल
37		अनूपपुर	श्री ओमकार साकेत, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय शहडोल

38	उज्जैन	उज्जैन	श्री राम चन्द्र चौहान, कनिष्ठ लेखा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय देवास
39		देवास	श्रीमती विनीता सोलंकी, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय देवास
40		आगर मालवा	श्री दिलीप सोनी, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय उज्जैन
41		शाजापुर	श्री राज यादव, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय आगर मालवा
42		रतलाम	श्रीमती सुनीता राय, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रतलाम
43		मंदसौर	श्री सुनील कुमार दुबे, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय नीमच
44		नीमच	श्री ओम कुमार गुप्ता, कनिष्ठ लेखा अधिकारी संयुक्त संचालक लोक शिक्षण उज्जैन
45	इन्दौर	इंदौर	श्री आर0सी0 मोगरा कनिष्ठ लेखा अधिकारी संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण इंदौर
46		बड़वानी	श्री मदनलाल सकला, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय झाबुआ
47		धार	श्री आर0के0 पाण्डेय, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय इंदौर
48		झाबुआ	श्री सर्वेश्वर चौहान, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय अलीराजपुर
49		अलीराजपुर	श्री आर0के0 जोशी, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय बड़वानी
50		खरगोन	श्री संदीप गवली, कनिष्ठ लेखा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय खण्डवा
51		बुरहानपुर	श्रीमती किरन वर्मा, ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय बुरहानपुर
52		खण्डवा	श्रीमती वैशाली रघुवंशी ए0पी0सी0 वित्त डी0पी0सी0 कार्यालय खण्डवा

आयुक्त
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

अध्यापक संवर्ग का प्रकार, सामान्यतः जो पदोन्नति/क्रमोन्नित नहीं पाये एवं जो प्राप्त कर चुके हैं	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलियन का वर्ष	वरिष्ठ अध्यापक		अध्यापक		सहायक अध्यापक	
		वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)
1	2	3	4	5	6	7	8
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2012	13210+4200=17410	9300-34800+4200	11210+3600=14810	9300-34800+3600	10140+3200=13340	9300-34800+3200
सामान्य	2012	11210+3600=14810	9300-34800+3600	10140+3200=13340	9300-34800+3200	8000+2400=10400	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2013	12840+4200=17040	9300-34800+4200	10890+3600=14490	9300-34800+3600	9860+3200=13060	9300-34800+3200
सामान्य	2013	10890+3600=14490	9300-34800+3600	9860+3200=13060	9300-34800+3200	7820+2400=10220	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2014	12470+4200=16670	9300-34800+4200	10560+3600=14160	9300-34800+3600	9580+3200=12780	9300-34800+3200
सामान्य	2014	10560+3600=14160	9300-34800+3600	9580+3200=12780	9300-34800+3200	7630+2400=10030	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2015	12090+4200=16290	9300-34800+4200	10230+3600=13830	9300-34800+3600	9300+3200=12500	9300-34800+3200
सामान्य	2015	10230+3600=13830	9300-34800+3600	9300+3200=12500	9300-34800+3200	7440+2400=9840	5200-20200+2400

नोट– 1. क्रमोन्नत/पदोन्नत अध्यापक संवर्ग की लाईन के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सहायक अध्यापक से अध्यापक में पदोन्नति हो गई तो उक्त तालिका सहायक अध्यापक की क्रमोन्नत/पदोन्नत की देखें, इसी प्रकार अध्यापक से वरिष्ठ अध्यापक में पदोन्नत हो गई है, तो उक्त तालिका में अध्यापक की क्रमोन्नत/पदोन्नत की तालिका देखें, इसी प्रकार वरिष्ठ अध्यापक की देखें। म.प्र. शासन के ग्रामीण एवं नगरीय प्रशासन के परिपत्र 07.07.2017 एवं 22.08.2017 के अनुसार ही

2. उपरोक्त तालिका सामान्य क्रम के प्रकरणों हेतु लागू है, जिसमें 1.1.2016 के पूर्व परिवार नियोजन आदि की भी कोई वेतन वृद्धि दी गई है, तो उसका भी उपरोक्त तालिका अनुसार ही दिनांक 01.01.2016 को नियमन होगा।

3. परन्तु यदि कोई विशेष प्रकार का प्रकरण है, तो उस पर उपरोक्त तालिका लागू नहीं होगी तथा संगत नियमों का पालन किया जावेगा।

4. तालिका का निर्धारण भी सामान्य क्रम के प्रकरणों में संगत नियमों के अनुसार तैयार की गई है, जो अनुश्रवण कार्य हेतु ही तैयार की गई है, बकाया अंतिम रूप से वेतन निर्धारण का अनुमोदन हेतु प्राधिकृत अधिकारी, संबंधित जिला पंचायत के लेखा अधिकारियों के माध्यम से ही किया जाना है।

संयुक्त संचालक (वित्त)
लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल

अध्यापक संवर्ग का छठवें वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 को सामान्यतः वेतन निर्धारण का संभावित रेडीरेकनर

अध्यापक संवर्ग का प्रकार, सामान्यतः जो पदोन्नति/क्रमोन्नति नहीं पाये एवं जो प्राप्त कर चुके हैं	अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति/संविलयन का वर्ष	वरिष्ठ अध्यापक		अध्यापक		सहायक अध्यापक	
		वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)	वेतन (वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन)	वेतनमान (वेतन बैण्ड एवं ग्रेड वेतन)
1	2	3	4	5	6	7	8
		शिक्षाकर्मी वर्ग –1 (नियुक्त 1998–99)		शिक्षाकर्मी वर्ग –2 (नियुक्त 1998–99)		शिक्षा कर्मी वर्ग –3 (नियुक्त 1998–99)	
		सं0शा0शि0 वर्ग–1 (वर्ष 2001 से 2003)		सं0शा0शि0 वर्ग–2 (वर्ष 2001 से 2003)		सं0शा0शि0 वर्ग–3 (वर्ष 2001 से 2003)	
जो 01.04.2007 को अध्यापक संवर्ग में संविलियत या नियुक्त हो चुके हैं एवं 01.01.2016 के पूर्व पदोन्नत/क्रमोन्नति प्राप्त कर चुके है, उनके लिए दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण निम्न होगा							
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2007	15070+4200=19270	9300-34800+4200	12840+3600=16440	9300-34800+3600	11540+3200=14740	9300-34800+3200
परन्तु ऐसे अध्यापक संवर्ग, जो 01.04.2007 को अध्यापक संवर्ग में संविलियत या नियुक्त हो चके हैं, परन्तु 01.01.2016 तक पदोन्नत/क्रमोन्नति प्राप्त नहीं किये है, उनके लिए दिनांक 01.01.2016 को वेतन निर्धारण निम्न होगा							
सामान्य	2007	12840+3600=16440	9300-34800+3600	11540+3200=14740	9300-34800+3200	8930+2400=11330	5200-20200+2400
संविदा शाला शिक्षक के रूप में नियुक्त हुये, वह कर्मचारी जो तीन वर्ष की संविदा अवधि पूर्ण सेवा उपरांत एवं निर्धारित योग्यता अर्जित करने के बाद अध्यापक संवर्ग में नियुक्त हुये वर्षवार कर्मचारियों को पात्रता							
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2008	14700+4200=18900	9300-34800+4200	12510+3600=16110	9300-34800+3600	11260+3200=14460	9300-34800+3200
सामान्य	2008	12510+3600=16110	9300-34800+3600	11260+3200=14460	9300-34800+3200	8750+2400=11150	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2009	14330+4200=18530	9300-34800+4200	12190+3600=15790	9300-34800+3600	10980+3200=14180	9300-34800+3200
सामान्य	2009	12190+3600=15790	9300-34800+3600	10980+3200=14180	9300-34800+3200	8560+2400=10960	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2010	13950+4200=18150	9300-34800+4200	11860+3600=15460	9300-34800+3600	10700+3200=13900	9300-34800+3200
सामान्य	2010	11860+3600=15460	9300-34800+3600	10700+3200=13900	9300-34800+3200	8370+2400=10770	5200-20200+2400
क्रमोन्नत/पदोन्नत	2011	13580+4200=17780	9300-34800+4200	11540+3600=15140	9300-34800+3600	10420+3200=13620	9300-34800+3200
सामान्य	2011	11540+3600=15140	9300-34800+3600	10420+3200=13620	9300-34800+3200	8190+2400=10590	5200-20200+2400